न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज
रूड़की, जिला हरिद्वार।

फौजदारी परिवाद संख्या–1022/2022
कम्प्यूटर संख्या– 2650/2022
हारून **बनाम** विवेक कुमार

दिनांक: 10.08.2023

पत्रावली पेश हुई। परिवादी द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–257 द0प्र0स0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी एवं मुल्जिम के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है, जिस कारण परिवादी वाद उपरोक्त को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः परिवादी द्वारा वाद उपरोक्त को राजीनामे के आधार पर निस्तारित करने की प्रार्थना की गई।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी द्वारा उक्त परिवाद अभियुक्त विवेक कुमार के विरूद्व धारा–138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत योजित किया था। परिवादी द्वारा आदेश पत्र पर वाद को आगे नही चलाने का पृष्ठांकन किया गया है। चूंकि परिवादी उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है एवं वाद का निस्तारण कराना चाहता है। ऐसे में, पत्रावली पर अन्य कोई कार्यवाही शेष नही है। उक्त परिवाद धारा–257 द0प्र0स0 के अन्तर्गत निस्तारित किये जाने के पर्याप्त आधार है।

आदेश

परिवादी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त परिवाद धारा–257 द0प्र0स0 के अन्तर्गत निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(उपाधि सिंघल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रथम अपर सिविल जज
रूड़की, जिला हरिद्वार।